न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/रसद/19/2021

आदेश जैन पुत्र नरेशचंद जैन उचित मूल्य दुकानदार वार्ड न0 13 कस्बा कामां तहसील कामां जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर (द्वितीय) दि0 22.09.2021 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 22.12.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 22.09.2021 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलव की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट कस्बा कामां मे वार्ड न0 13 उचित मूल्य दुकानदार नियुक्त है तथा सबंधित राशनकार्ड धारको को नियमित रूप से राशन सामग्री का वितरण कार्य कर रहा है। अपीलान्ट के विरूद्व कोई राशन वितरण सबंधी शिकायत नही हुई है। प्रकरण में वर्णित शिकायत स्व0 भागचन्द जैन निवासी कामां के एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पारिवारिक मनमुटाव के कारण शिकायत झूठी की गई है। अपीलान्ट का जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की जाचं रिपोर्ट दिनांक 11.06.2021 को प्राप्त होने पर प्राधिकार पत्र

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

निलम्बित किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 09.06.2021 को सांय 7.30 बजे दुकान का निरीक्षण किया गया। अपीलान्ट किसी काम से कामां से बाहर गया हुआ था। मुझे दूसरे डीलर के जरिये बुलाया गया। तब तक जांच अधिकारी द्वारा लिखा पढी कर चुके थे। अपीलान्ट व मेरे भाई सोनू ने निरीक्षक को यह नही कहा कि मेरी दुकान से शिकायतकर्त्ता नरेन्द्र कुमार जैन राशन कार्ड न0 102601600190, देवेन्द्र कुमार जैन 20000488904 तथा अमित कुमार जैन पुत्र जयन्तीप्रसाद जैन राशनकार्ड न0 102601600290 पर निर्धारित देय मात्रा में प्रतिमाह गेहूं का वितरण किया गया है। जबकि फर्द मौका रिपोर्ट में इसी तथ्यों को गलत रूप से दर्शाया गया है। वक्त निरीक्षण राशन दुकान पर दो उपभोक्ता भी उपलब्ध थे किन्तु उनके कोई बयान आदि नही लिये गये। इस सबंध में उनके शपथ पत्र संलग्न है। अपीलान्ट ने अपने जबाब में तीनो राशनकार्ड धारको को राशन कार्ड पर देय गेहूं की मात्रा का वितरण प्रतिमाह उनको स्वंय अथवा परिवार के सदस्यों को बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात् निर्धारित मात्रा में वितरण किया गया है तथा जिसका इन्द्राज उनके राशनकार्डो में भी किया गया है। उपभोक्ताओं द्वारा भी कार्ड में दर्ज मात्रा अनुसार पूरा गेहूं प्राप्त करने बाबत शपथ पत्र दिनांक 10.08.2021 को तहत न्यायालय में पेश किये किन्तु अपीलाधीन आदेश में शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों को पश्चात्वर्ती सोच के आधार पर प्रस्तुत किया जाने का उल्लेख किया है तथा उनको स्वीकार करना अनुचित होगा लिखा गया है। तहत न्यायालय द्वारा उक्त शपथ पत्रों के सबंध में कोई जांच या काउन्टर शपथ पत्र प्रवर्तन निरीक्षक से नही लिया गया है और ना ही जांच अधिकारी के बयान व जिरह करने का अवसर दिया गया है। जांच के दौरान प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्त्ताओं के राशनकार्ड की ना तो प्रति ली गई और ना ही उन्हे जब्त किया है। जांच अधिकारी द्वारा किन दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्ट के विरूद्व 1890 किलोग्राम गेहूं की कालाबाजारी होना अंकित किया है। इसका विवरण कोई आदेश में नही है। फर्द मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट व उसके भाई सोनू का उपस्थित होना तथा फर्द मौका पर हस्ताक्षर करना ही वर्णित अपराध को स्वीकारयोक्ति मान लिया गया है। जबकि फर्द मौका रिपोर्ट पर लिखे गये तथ्य तथा उक्त शिकायत के सबंध में अपीलान्ट व उसके भाई द्वारा तथ्य नही लिखाये गये बल्कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पडौस की दुकान में कार्यरत आटा चक्की अपीलान्ट की मानकर अतिरिक्त गेहूं को उसमें निस्तारित कर देना मनमाने तरीके से लिखा गया है। जांच अधिकारी द्वारा शिकायत के सबंध में किसी भी स्वतंत्र गवाह या पडौसी से पूछताछ की और ना ही मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान आदि लिये गये है। अपीलान्ट द्वारा शिकायतकर्त्ताओं सितम्बर 2016 से पोश मशीन में दर्ज उपभोक्ताओं को प्रतिमाह नियमानुसार निर्धारित मात्रा एवं दर से गेहूं व अन्य राशन सामग्री का वितरण किया गया है। जो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं के अगूंठा लगवाकर बायोमैट्रिक सत्यापन पश्चात राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। यह तथ्य पूर्णतय असत्य है कि शिकायतकर्त्ताओं देय मात्रा के बजाय आधी मात्रा में राशन दिया जाता है। इस

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

सबंध में शिकायतकर्त्ताओं में से किसी व्यक्ति द्वारा इससे पहले कम मात्रा में गेहूं प्राप्त होने की शिकायत किसी अधिकारी को नही की गई है। वर्तमान में उक्त शिकायत पारिवारिक रंजिश वश की गई है जो कि पारिवारिक समझाइश के बाद शिकायतकर्त्ताओं ने गेहूं पूरी मात्रा में प्राप्त कर लेने बाबत शपथ–पत्र भी दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय स्वतंत्र एवं स्वविवेक के आधार पर नही किया गया है और ना ही कार्यालय व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से तथ्यों का सत्यापन किया गया है। मात्र प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लगाये आरोपों तथा अपीलान्ट के जबाब व शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक की टिप्पणी में वर्णित तथ्यों पर पूर्णतया आधारित है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा लगाये गये आरोपों का समर्थन किया गया है और जबाब के साथ संलग्न शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों को पश्चात्वर्ती सोच पर आधारित होना लिखा गया है। अन्त में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 22.9.2021 को निरस्त कर प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार रसद ने अपनी बहस में कथन किया है कि जांच के दौरान अपीलान्ट व उसके भाई द्वारा अवशेष गेहूं का आटा चक्की में निस्तारण किया जाना एवं शिकायतकर्त्ताओं के राशनकार्डो पर 1890 किलोग्राम गबन किये गये गेहूं के सबंध में उपभोक्ताओं द्वारा बयान देना डीलर के गैर कानूनी कृत्य की पुष्टि करता है। यह जांच कार्यालय द्वारा शिकायतकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अनुसरण में आहूत की गई थी जिसके आधार पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र पश्चात्वर्ती सोच को दर्शाते है एवं निलम्बन अवधि में उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण कर डीलर द्वारा अपने गैर कानूनी कृत्य को छिपाने का प्रयास किया गया है। पैरोकार रसद ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में राशन डीलर के विरूद्व शिकायतकर्त्ताओ द्वारा अक्टूबर 2016 से जून 21 तक आधा गेहूं प्रतिमाह वितरण करने की शिकायत की गई है जबकि शिकायतकर्त्ताओं को पोरा मशीन व बायोमैट्रिक प्रणाली से राशन वितरण किया गया है तथा उनके राशनकार्डो में भी इन्द्राज किये गये है। निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्त्ताओं के किसी भी प्रकार के बयान आदि पृथक से स्वतंत्र गवाहो के बयानात नहीं लिये गये है। डीलर द्वारा अपने जबाब में स्पष्ट किया है कि उक्त शिकायत पारिवारिक रंजिश वश की गई है व उसके उपरांत पारिवारिक समझाइश के बाद शिकायतकर्त्ताओं ने डीलर के पक्ष में शपथ पत्र पेश किये गये है। डीलर द्वारा जबाब के साथ संलग्न शिकायतकर्त्ताओं के शपथ पत्रों के सबंध में रिपोर्ट में पश्चात्वर्ती सोच होना जाहिर किया गया है जो कि न्याय संगत नही है। जांच में उपभोक्ताओं के द्वारा आधा गेहूं किस आधार पर लिया जा सकता है, इसका कोई

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

स्पष्ट उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है और ना ही मौके पर कोई अतिरिक्त खाद्यान्न मिला है। डीलर के विरूद्व आरोपों के सबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश त्रुटि पूर्ण होने से किसी प्रकार से समर्थन योग्य नही रहता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.9.2021 अपास्त किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावें।

निर्णय आज दि0 22.12.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर